रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED NO. D. (D.L.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 7, 1984/चैत्र 18, 1906
No. 168] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 7, 1984/CHAITRA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वाणिज्यिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1984

का. आ. 272(अ) :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 (दिनांक पहली मार्च, 1984 की सरकारी अधिसूचना सं. एफ. 4/3/82-बी. ओ. 1 (1) द्वारा यथा संशोधित) के खण्ड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्णय करती है कि श्री जी. सी. कथरानी, बैंक आफ इण्डिया के निदेशक मण्डल के तत्काल से निदेशक नहीं रहेंगे ।

[सं. 9/20/84 बी. ओ.-I (2)]

वी. के. सिबल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 1984

S.O. 272(E).—In exercise of the powers conferred by clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended vide Government Notification No. F. 4|3|82-BO. I(1), dated March 1, 1984, the Central Government is pleased to decide that Shri G. C. Kathrani shall cease to hold the office of director on the Board of Directors of Bank of India with immediate effect.

[No. F. 9|20|84-BO.I(2)]

V. K. SIBAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984